


न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा
(म०प्र०)

निगरानी 1696-II-15

117
28-4-15



पु-201-

1. बट्टी सिंह तनय छत्रपति सिंह
2. लौंगा देवी विधवा पत्नी छत्रपति सिंह

श्री राजलक्ष्मी तिवारी 'राजू'

बोनों निवासी ग्राम कैथा तहसील त्योंथर जिला रीवा म०प्र०

निगरानीकर्ताण

रीवा
सर्किट कोर्ट रीवा

बनाम

1. अशोक सिंह तनय श्री सीतला सिंह

क्रमांक 5428
रजिस्टर्ड नं.
दिनांक

2. धनश्याम सिंह तनय श्री सीतला सिंह

आज
प्राप्त दोनों निवासी ग्राम बड़ोखर तहसील कोरांव जिला इलाहाबाद उ०प्र०

राजस्व
बलाप 265-B

3. सुनीता देवी पत्नी इन्द्रबहादुर सिंह निवासी ग्राम पहाड़ी तहसील
लेखगंज जिला रीवा म०प्र०

4. पार्वती पत्नी दिनेश सिंह निवासी ग्राम बड़ोखर तहसील कोरांव जिला
इलाहाबाद उ०प्र०

5. संतोष सिंह तनय श्री रामबहादुर सिंह निवासी ग्राम बड़ोखर तहसील
कोरांव जिला इलाहाबाद उ०प्र०

गैर निगरानीकर्ताण

निगरानी विरुद्ध न्यायालय श्रीमान् अपर
आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के
विद्वान पीठासीन अधिकारी श्री के.पी. राही
(आई.ए.एस) के द्वारा प्रकरण क्रमांक
1351/2012-13 मे पारित आदेश
दिनांक 18.02.15


बसु सिंह

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.1696-II/15

जिला-रीवा

बद्री सिंह/अशोक सिंह

(1)	(2)	(3)
25.04.17	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।</p> <p>3. चूंकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

M